न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– ब्रह्मलाल जाट (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर 2/2024

उनवान प्रकरण

1. राहुल उम्र 14 साल
2. राजेश उम्र 12 साल
3. बिट्टू उम्र 10 वर्ष
4. कृष्णा उम्र 8 वर्ष
5. रजना उम्र 17 साल

→ पिसरान वल्लो उर्फ वलवीर जाति छीपी नाबालिगान सरपरस्ती चाचा खुद दाऊजी पुत्र तेजसिंह जाति छीपी निवासी खेडा तहसील व जिला धौलपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. वल्लो उर्फ वलवीर पुत्र तेजसिंह जाति छीपी निवासी खेडा तहसील व जिला धौलपुर
2. मनोज पुत्र शिवराम जाति कुशवाह निवासी भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

रेस्पोडेन्टान

अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 595 दिनांक 18.05.2018 तहसील व जिला धौलपुर

उपस्थिति:–

अपीलान्ट्स की ओर से :– श्री सुरेश कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 28.06.2024

निर्णय

सूक्ष्म में अपीलान्ट द्वारा अपील इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नं0 220 रकवा 19 विस्वा, 231/1 रकवा 16 विस्वा, 235 रकवा 15 विस्वा, 695/234 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा एवं 213 रकवा 6 विस्वा, 217 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा वॉके ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

भिलगंवा तहसील धौलपुर का तेजसिंह पुत्र पूरना जाति छिपी निवासी खेडा खातेदार काश्तकार था तेजसिंह पुत्र पूरना का देहान्त दिनांक 20.10.2009 को हो गया रेस्पोडेन्टस नं0 1 व उसके भाईयों व बहिनों ने गलत सिजरा बनाकर नामान्तकरण सं0 481 ग्राम खेडा दिनांक 5.07.2013 ग्राम पंचायत बसई सामन्ता पं0स0 धौलपुर से स्वीकार करा लिया। राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करा लिया गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर रेस्योडेन्ट सं0 1 ने आ0ख0न0 213 रकवा 6 विस्वा, 217 रकवा 1 वीघा 05 विस्वा वॉके ग्राम खेडा में 1/6 भाग मोहन पुत्र तेज सिंह के हक में रिलीज डीड दिनांक 8.07.2019 को कर दी नामान्तकरण सं0 485 वॉके ग्राम भिलगंवा मे मोहन पुत्र तेजसिंह ने स्वीकार करा लिया शेष आराजी ख0नं0 220 रकवा 19 विस्वा वॉके ग्राम भिलगंवा दिनांक 13.04.2018 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक मे वयनामा कर दिया और नामान्तकरण सं0 595 ग्राम भिलगंवा दिनांक 18.05.2018 दिनांक 1.05.2018 तहसीलदार धौलपुर से स्वीकार करा लिया नामान्तकरण सं0 595 ग्राम भिलगंवा तहसील धौलपुर दिनांक 18.05.2018/ 1.05.2018 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट अपील पेश की गई है । आदेश नामान्तकरण संख्या 595 ग्राम भिलगंवा तहसील धौलपुर दिनांक 18.05.218/1.05.2018 तहसीलदार धौलपुर कानून के खिलाफ होने के कारण काविल निरस्ती है। आराजी खसरा नं0 220 रकवा 19 विस्वा वॉके ग्राम भिलगंवा तहसील धौलपुर मे अपीलान्ट प्रत्येक 1/36 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा काविज है क्योकि पैतृक संम्पति मे अपीलान्ट को जन्म से अधिकार प्राप्त है उक्त व अन्य आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है इसमे अपने अधिकार की घोषणा का वाद सं0 32/2018 उनवानी राहुल वगैरा बनाम वल्लो उर्फ वलबीर वगैरा न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्अर (मु0) धौलपुर दावा स्वत्व घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा बटवारा दिनांक 10.05.2018 प्रस्तुत कर दिया था जिसमे अस्थायी निषेधाज्ञा बटवारा दिनांक 10.05.2018 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने को जारी की गयी क्योंकि अपीलान्ट का अधिकार निहित था अपीलान्ट नावालिग है अपने चाचा दाऊजी के साथ रहते है चाचा द्वारा पालन पोषण किया जा रहा है मां का देहान्त हो चुका है क्योकि पिता शराबी व जुआरी है समस्त आराजी को समाप्त करना चाहता है। चाचा के हित विपरीत नही है चाचा भी अलग है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 अजनवी क्रेता है बिना बटवारा कराये जाने का अधिकारी नहीं था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 2 प्रभावशाली व्यक्ति है पटवारी हल्का ने अस्थायी निषेधाज्ञा के वाद रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निषेधाज्ञा की जानकारी होने के बाबजूद भी नामान्तकरण सं0 595 ग्राम भिलगंवा दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार धौलपुर से स्वीकार करा लिया और नामान्तकरण संख्या 595 ग्राम भिलगंवा दिनांक 18.05.2018 के नीचे दिनांक 1.05.2018 साजिश करके अंकित करायी है नामान्तकरण मे दोनों आदेश मे दोनों तारीख स्पष्ट अंकित है। जबकि हस्तान्तरण के प्रकरण मे नामान्तकरण का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है। 45 दिनो के वाद तहसीलदार को प्राप्त है एवं गत रकवा संवत् 2071–2074 विस्बा मे अंकित था वर्तमान रकवा जमावन्दी सम्वत् 2075–2019 हैक्टेयर मे अंकित है। पटवारी हल्का ने नामान्तकरण दिनांक 18.05.2018 को स्वीकार कराया था लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए वाद मे दिनांक 1.05.2018 अंकित दुर्भावना से अस्थायी निषेधाज्ञा के वाद नामान्तकरण दर्ज करायी है अतः

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण काबिल निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 दिनांक 20.10.2020 को मेड़ डालकर कब्जा करना चाहा तब अपीलान्ट के चाचा ने जानकारी की तब ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने पटवारी हल्का से साजिश करके अस्थायी निषेधाज्ञां के वाद नामान्तकरण स्वीकार करा लिया है नकल का प्रा0 पत्र दिनांक 22.10.2020 को पेश किया दिनांक 29.10.2020 को नकल प्राप्त हुयी दिनांक 30.10.2020, 31.10.2020 व 01.11.2020 को अवकाश था अतः बिना देरी के अपील पेश की जा रही है देरी की क्षमा हेतु धारा 5 म्याद् अधि0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है अतः देरी को माफ किया जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 06.02.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । अपीलांट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया नामान्तकरण विला क्षेत्राधिकार आदेश तहसीलदार शून्य है । दौराने दावा नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जाती है सरसरी कार्यवाही स्थगित रखी जाती है । नारमान्तकरण आदेश में दिनांक 18.05.2018 को काट कर दिनांक 01.05.2018 अंकित की गई है इसलिए समस्त कार्यवाही संदिग्ध लगती है । अपील देरी से पेश की गई है । अपीलान्ट के अभिभाषक का कथन है कि विला क्षेत्राधिकार आदेश शून्य है । अपीलान्ट नाबालिग है । उनके हितों की रक्षा हेतु विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है ।

हमने बहस का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया आराजी विवादित बाबत् वाद प्र0 सं0 32/2018 उनवानी राहुल वगैरा बनाम वल्लो उर्फ बलवीर वगैरा धारा 88/188/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एलआर एक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर में दिनांक 10.05.2018 को पेश किया दिनांक 10.05.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्र0 सं0 24/2018 राहुल बगैरा बनाम बल्लो उर्फ बलबीर बगैरा में अस्थाई निषेधाज्ञा 10.05.2018 को जारी की गई और नामान्तकरण दिनांक 01.05.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बयनामा के आधार पर भरा गया है और भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसी दिन जॉच की गई है दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया गया है । उसके पश्चात् दिनांक 18.05.2018 को काटकर दिनांक 01.05 2018 को जारी की गई है । कांट–छांट के संबंध में कोई एफ.आई.आर. इत्यादि प्रार्थीगण की ओर से दर्ज नहीं कराई गई है । किस परिस्थिति में कांट–छांट की यह अपीलांट सावित नहीं कर पाये है । राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 दिनांक 01.05.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक राज्य सरकार द्वारा चलाये गये थे । उक्त अभियान के दौरान तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है । अतः तहसीलदार धौलपुर के उक्त नामान्तकरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है । तहसीलदार धौलपुर का नामान्तकरण आदेश यथावत रखा जाता है । तहसीलदार धौलपुर का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

28/6/24

(ब्रह्ममलाल जाट)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

ब्रह्मलाल जाट
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर